

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक सं: अ0छा0क0/अध्येयतावृत्ति/629

दिनांक 23/8/2025

कार्यालय आदेश

सम्बन्धित परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर शिक्षा की संस्तुतियों पर वर्ष 2023-24 के द्वितीय षट्मास में प्रवेश प्राप्त एक एवं वर्ष 2024-25 के प्रथम षट्मास में प्रवेश प्राप्त पी0एच0डी0 में अध्ययनरत दो छात्रों को जिन्हें नियमानुसार रू0 6000/- प्रतिमाह की दर से अध्येयतावृत्ति स्वीकृत हुई है, और उन्होंने वर्ष 2024-25 के प्रथम षट्मास में पंजीकरण कराया है को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी अवधि का भुगतान पूर्व नियमों, परिनियमों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार इन छात्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

S. No.	Name of Student	Id. No.	Date of Registration in I Semester 2024-25	Department/ Discipline
1.	Aditi Agarwal	62843	29.08.2024 to full Semester	Management
2.	Arsala Saifi	62844	29.08.2024 to full Semester	-do-
3.	Mrinal Chuphal	61225	24.08.2024 to full Semester	Microbiology

प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार वर्ष 2024-25 प्रथम षट्मास में इन छात्रों में से कोई भी छात्र शैक्षिक अथवा व्यवहारिक परीक्षा पर हैं या नहीं, सम्बन्धित छात्रों को भुगतान करने से पूर्व इसे सुनिश्चित कर लिया जाये।

पी0एच0डी0 में प्रवेश प्राप्त छात्रों को उनके विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के दिनांक से 36 माह हेतु या थीसिस जमा करने के दिनांक तक जो भी पहले हो अध्येयतावृत्ति प्रदान की जाती है जिसका प्रत्येक षट्मास में पंजीकरण के उपरान्त नवीनीकरण कराने पर ही नियमानुसार देय है। शैक्षिक एवं व्यवहारिक परीक्षा पर रहने वाले छात्र अध्येयतावृत्ति के पात्र नहीं हैं।


(आनन्द सिंह जीना)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।
2. सम्बन्धित महाविद्यालयों एवं सम्बन्धित छात्रावासों के सूचना पटों पर सूचनार्थ।
3. निदेशक शोध को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
4. अधिष्ठाता स्नातकोत्तर/नियंत्रक/कुलसचिव/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. नोटिस बोर्ड - अधिष्ठाता छात्र कल्याण

